प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
सेवा मतदाता

प्र0 1. सेवा मतदाता कौन है?

उ0 सेवा मतदाता ऐसा मतदाता है जिसकी सेवा अर्हता होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, सेवा अर्हता का अर्थ है–

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा
(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए है अथवा
(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य से बाहर सेवा कर रहा है, अथवा
(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर नियोजित है।

प्र0 2. निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए संगत तिथि कौन–सी है?

उ0 निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए संगत तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी है, जिसमें अन्तिम रूप से नामावली प्रकाशित की जाती है।

प्र0 3. सेवा मतदाता सामान्य मतदाता से कैसे भिन्न है?

उ0 सेवा अर्हता रखने वाला व्यक्ति अपने पैतृक स्थान पर 'सेवा मतदाता' के रूप में पंजीकृत हो सकता है चाहे वह वास्तव में भिन्न स्थान (तैनाती के) पर रह रहा हो, जबकि साधारण निर्वाचक निर्वाचन क्षेत्र की उस नामावली में पंजीकृत किया जाता है जिसमें वह सामान्य रूप से निवास कर रहा है। हालांकि, उसके पास यह विकल्प होता है कि वह अपनी तैनाती के स्थान पर अपने आप को सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करवा सकता है जहां वह वास्तव में उस समय पर्याप्त रूप से काफी अवधि के लिए सामान्य रूप से अपने परिवार के साथ रह रहा होता है।

प्र0 4. वे कौन से आवेदन फार्म हैं जिनमें विभिन्न श्रेणियों के सेवा मतदाता को निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत होने के लिए आवेदन करना पड़ता है?

उ0 आवेदन फार्म निम्नलिखित हैं जिनमें विभिन्न श्रेणियों के सेवा मतदाताओं को, सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के लिए आवेदन करना होता है:–

(i) सशस्त्र बलों के सदस्य–फार्म 2
(ii) राज्य के सशस्त्र बल के सदस्य, जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं– फार्म 2क
(iii) ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित हैं– फार्म 3

यद्यपि, यदि सेवा कार्मिक ने स्वंय को अपनी तैनाती के स्थान पर, जहां वह वास्तव में रह रहा है, साधारण निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत होने का विकल्प दिया है तो उसे अन्य सामान्य निर्वाचकों की तरह फार्म 6 में आवेदन करना पड़ेगा।

प्र0 5. क्या सभी सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के सदस्य सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के हकदार हैं?

उ0 विद्यमान व्यवस्था के अनुसार, भारतीय सेना, जल सेना एवं वायु सेना और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिक (सीमा सड़क संगठन) सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राईफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के सदस्य सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के हकदार हैं।

प्र0 6. फार्म 2/2क/3 कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

उ0 यह भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्र0 7. सेवा कार्मिक के सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की क्या प्रक्रिया है?

उ0 निर्वाचन आयोग वर्ष में दो बार सेवा मतदाताओं के लिए नामावलियों के पुनरीक्षण/अद्यतन का आदेश देता है। आयोग रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने की सूचना देते हुए उन्हें संसूचना भेजता है। जैसे ही कार्यक्रम घोषित किया जाता है, सेवा अर्हता रखने वाला व्यक्ति, डुप्लिकेट में, सांविधिक फार्म 2/2क/3 में आवेदन कर सकता है और रिकार्ड कार्यालय के प्रभारी अधिकारी या विदेश मंत्रालय के नोडल प्राधिकारी (ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर नियोजित है) को सौंप सकते हैं। फार्म 2/2क में आवेदन करने वाले व्यक्ति को निर्धारित फार्मेट में इस आशय की घोषणा भी जमा करनी होती है कि वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य मतदाता के तौर पर पंजीकृत नहीं है। घोषणा डुप्लिकेट में देने की आवश्यकता नहीं है। प्रभारी अधिकारी/नोडल

प्राधिकारी फार्म एवं घोषणा की जांच करेगा और यह निश्चित करेगा कि फार्म सभी रूप में पूर्ण है और आवेदक द्वारा उसमें भरे गए सभी विवरण ठीक हैं। तब प्रभारी अधिकारी स्वयं फार्म में उपलब्ध सत्यापन प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उसे अग्रेषित करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी फार्म को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजता है जो इसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी फार्म पर कार्रवाई करेंगे।

प्र0 8. क्या सेवा मतदाता की पत्नी या पुत्र/पुत्री भी सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत होते है?

उ0 सेवा मतदाता की पत्नी भी, यदि वह उसके साथ सामान्य रूप से रह रही है, उस व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में सेवा मतदाता के रूप में समझी जाएगी। सेवा मतदाता को सुसंगत फार्म 2/2क/3 में इस आशय का विवरण देना होता है कि उसकी पत्नी सामान्य रूप से उसके साथ रहती है। पत्नी को उसके पति द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म में ही की गई घोषणा के आधार पर सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और पत्नी के द्वारा अलग से किसी घोषणा/आवेदन की आवश्यकता नहीं है। सेवा मतदाता के साथ सामान्य रूप से रहने वाले पुत्र/पुत्री/संबंधी/नौकर आदि को सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत नहीं किया जा सकता ।

प्र0 9. क्या सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकरण की सुविधा महिला सेवा मतदाता के पति के लिए उपलब्ध है?

उ0 विद्यमान विधि के अधीन, यह सुविधा केवल पुरूष सेवा मतदाता की पत्नी के लिए उपलब्ध है और महिला सेवा मतदाता के पति के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्र0 10. क्या कोई एक साथ अपने जन्म स्थान पर सेवा मतदाता के साथ–साथ नियुक्ति के स्थान पर सामान्य मतदाता के तौर पर पंजीकृत हो सकता है?

उ0 नहीं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 17 और 18 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत, एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत नहीं हो सकता है। उसी प्रकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचक नामावली में एक बार से अधिक निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत नहीं हो सकता है। जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि एक सेवा मतदाता के पास स्वयं को या तो अपने जन्म स्थान पर सेवा मतदाता के तौर पर या फिर नियुक्ति के स्थान पर सामान्य निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत होने का विकल्प है। जब कोई व्यक्ति फार्म 2/2क में सेवा मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के लिए आवेदन करता है तो उसे एक निर्धारित फार्मेट में एक

घोषणा इस आशय के साथ जमा करवानी पड़ती है कि उसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है।

प्रष्न–11 वर्गीकृत सेवा मतदाता कौन है?

उत्तर– सषस्त्र बल या ऐसे बल, जिन पर सेना अधिनियम, 1950 के उपबंध लागू होते हैं, के सेवा मतदाता के पास या तो डाक मतपत्र के माध्यम से या उनके द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त परोक्षी मतदाता के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है। सेवा मतदाता जो परोक्षी के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं उसे वर्गीकृत सेवा मतदाता (सी एस वी) कहा जाता है।

प्रष्न–12 'परोक्षी' कौन होता है?

उत्तर– सेवा मतदाता (निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के फार्म–13 च में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करके–फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में उसकी ओर से और उसके नाम के लिए मतदान करने हेतु अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त कर सकता है। परोक्षी को उस निर्वाचन–क्षेत्र का सामान्य निवासी होना होगा। उसका पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है परन्तु उसे एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए निरर्हित नहीं होना चाहिए।

प्रष्न–13 'परोक्षी' की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर– 'परोक्षी' को निम्नलिखित दो तरीकों से नियुक्त किया जा सकता हैः–

(क) यदि, सेवा मतदाता अपनी तैनाती के स्थान पर है, तो उसे फार्म 13च में अपना हस्ताक्षर करके उसे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना है और फिर उस फार्म को अपने परोक्षी के पास नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर करने हेतु भेजना है। उसके बाद, परोक्षी यह फार्म सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) यदि सेवा मतदाता अपने मूल निवास–स्थान पर है, तो वह और उसका परोक्षी दोनों फार्म 13 च पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर कर उसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकता है।

प्रष्न–14 परोक्षी कितनी अवधि तक वैध बना रहता है?

उत्तर– परोक्षी के माध्यम से मतदान किए जाने का प्रावधान तब तक वैध है जब तक कि नियुक्त करने वाला व्यक्ति सेवा मतदाता है। एक बार नियुक्त कर दिए जाने पर परोक्षी तब तक बना रहेगा जब तक कि सेवा मतदाता द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द न कर दी जाए। वर्गीकृत सेवा मतदाता द्वारा परोक्षी मतदाता की सुविधा रद्द की जा सकती है और परोक्षी किसी भी समय या चाहे कितनी भी बार बदला जा सकता है। इस तरह, वर्गीकृत सेवा मतदाता रद्द करके वापस डाक मतपत्र का तरीका अपना सकता है या यहां तक कि वह निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, 1961 के फार्म 13छ (यह फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करके परोक्षी को बदल भी सकता है। निरस्तीकरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फार्म प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

प्रष्न–15 परोक्षी की नियुक्ति के लिए आवेदन कब दिया जाना चाहिए?

उत्तर– रिटर्निंग अधिकारी को परोक्षी की नियुक्ति के लिए आवेदन नामनिर्देषन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तारीख से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। नामनिर्देषन पत्रों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख बीत जाने के बाद प्राप्त परोक्षी की नियुक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह उत्तरवर्ती निर्वाचनों के लिए वैध होगा बषर्ते कि इसे रद्द/परिवर्तित न किया गया हो।

प्रष्न–16 'परोक्षी' मतदान केन्द्र पर सेवा मतदाता की ओर से मत कैसे दर्ज करेगा?

उत्तर– परोक्षी सेवा मतदाता के लिए नियत मतदान केन्द्र पर सेवा मतदाता की ओर से उसी तरीके से मत दर्ज करेगा जो उस मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के लिए निर्दिष्ट है। परोक्षी, सेवा मतदाता की ओर से उसका मत डालने के लिए पात्र है, और इसके अतिरिक्त, यदि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता है तो वह सामान्य रूप से उसे आबंटित मतदान केन्द्र में अपना वोट डाल सकता है/सकती है।

प्रष्न–17 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा क्या वर्गीकृत सेवा मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया जा सकता है?

उत्तर– वर्गीकृत सेवा मतदाता को डाक मतपत्र जारी नहीं किया जा सकता है परन्तु, नियुक्त परोक्षी को प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए और उस मतदान केन्द्र में जिसके अन्तर्गत वर्गीकृत मतदाता का गृह पता आता है, मत देना चाहिए।

प्रष्न–18 निर्वाचक नामावली में सेवा मतदाताओं की सूची की क्या संरचना है?

उत्तर– जबकि, वर्गीकृत सेवा मतदाता की सूची मतदान केन्द्रवार बनाए रखी जाएगी, अन्य सेवा मतदाताओं की सूची निर्वाचन क्षेत्र के लिए समग्र रूप से तैयार की जाती है और उसमें पंजीकृत सभी सेवा मतदाताओं को निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंत में एक पृथक अंतिम हिस्से के रूप में रखा जाएगा। इस अंतिम भाग में एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सेवा मतदाताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा चाहे उनके निवास का स्थान कुछ भी क्यों न हो। इन सेवा मतदाताओं का कोई विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र नहीं होता। सेवा मतदाताओं के प्रयोजनार्थ अंतिम हिस्से के तीन उप–भाग हैं–'क' (सषस्त्र बल के लिए), 'ख' (संबंधित राज्य से बाहर सेवारत राज्यों के सषस्त्र पुलिस बल) और 'ग' (भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए)

प्रष्न–19 सेवा मतदाताओं की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग को वर्ष में कितनी बार अद्यतन किया जाता है?

उत्तर– निर्वाचन नामावली के अंतिम भाग/सेवा मतदाताओं की सूची वर्ष में दो बार अद्यतन की जाती है और एक वर्ष में दो परिषिष्ट प्रकाषित किए जाते हैं।

प्रष्न–20 सेवा मतदाताओं के लिए नामावलियों का अन्तिम भाग किस भाषा में तैयार किया जाता है?

उत्तर– अन्तिम भाग, जिसमें सेवा मतदाता की सूची होती है, केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाता है।

प्रष्न–21 क्या सेवा मतदाता को साधारण निर्वाचकों की तरह निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (ई पी आई सी) जारी किया जा सकता है?

उत्तर– सेवा मतदाता को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (ई पी आई सी) जारी नहीं किया जाता है। निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (ई पी आई सी) पहचान–पत्र का एक दस्तावेज है जिसे मतदाता को मतदान केन्द्र पर अपना मत डालते समय दिखाना होता है। चूंकि सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी किया जाता है या वे अपने 'परोक्षी' के माध्यम

से मत दे सकते हैं। इसलिए, उनके लिए मतदान केन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप में जाना अपेक्षित नहीं है और इसलिए, उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र (ई पी आई सी) जारी नहीं किए जाते हैं।

प्रष्न–22 क्या सेवा मतदाता को डाक मतपत्र जारी करवाने के लिए आवेदन देने की आवष्यकता है?

उत्तर– नहीं; रिटर्निंग अधिकारी अपने रिकार्ड ऑफिसर के जरिए उन्हें स्वयं ही डाक मतपत्र भेज देंगे (या तो सीधे या भारत से बाहर सेवारत सेवा मतदाता के मामले में विदेष मंत्रालय के माध्यम से)

****